भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CW 575523

क्षेत्राधिकार कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. सम्पत्ति का प्रकार :- आवासीय प्लाट
2. वार्ड /परगना :- मुजफ्फरनगर
3. मौहल्ला / ग्राम / सेगमेन्ट :- ग्राम खान्जहापुर
4. क्षेत्र- ग्रामीण / नगरीय / अर्द्धनगरीय :- अर्द्धनगरीय
5. सम्पत्ति का विवरण (आवासीय / व्यावसायिक / गोदाम / कृषि) :- आवासीय प्लाट खसरा नम्बर 407 आदि
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल (भूमि) (वर्गमीटर / हैक्टयर) - 83.6 वर्गमीटर
7. सम्पत्ति की स्थिति (लिंक / जनपदीय / राज्य / राष्ट्रीय मार्ग / सेगमेन्ट का नाम) :- कोई नही
8. कार्नर / दो / एक रास्ते का नाम :- एक रास्ते पर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 575524

9. निकटतम नामित मार्ग का नाम व दूरी :– कोई नही

10. (क) सम्पत्ति का आच्छादित क्षेत्रफल भूतल :– कोई नही

11. निर्माण का प्रकार / श्रेणी :– कोई नही

12. पेडो का मूल्यांकन :– कोई नही

13. बोरिंग व अन्य :– कोई नही

14. निर्माण का वर्ष :– कोई नही

15. प्रतिफल / बाजारी मूल्य :– 5,00,000 / –रूपये

16. सर्किल रेट से मालियत :– 5,01,600 / –रूपये

17. दिया गया स्टाम्प शुल्क :– 30,200 / –रूपये

18. स्टाम्प देयता की गणना हेतु प्रयुक्त दरः–6,000 / – रूपये प्रतिवर्गमीटर

19. रेट लिस्ट का क्रमांक, पृष्ठ, कोड संख्या, कॉलम :– प्रारूप 2, पृ. 19, को.सं. 1056, कॉलम 6

20. <u>चौहद्दी / सीमांकन</u>

पूरब – प्लाट प्राइवेट नम्बर 45

पश्चिम – रास्ता 20 फुट चौडा

उत्तर – प्लाट प्राइवेट नम्बर 51

दक्षिण – प्लाट प्राइवेट नम्बर 53 जिसमे मकान अजय कुमार का तामीर, है

Alka Garg

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CW 575525

21. प्रथम पक्ष की सख्या व मोबाईल नम्बर :– संख्या 1, मो.नं. 9997944287
22. द्वितीय पक्ष की संख्या व मोबाईल नम्बर :–संख्या 1, मो.नं. 8923303727
23. सम्पत्ति तक पहुंचने का रूट चार्ट संलग्न है अथवा नही :– हां
24. लेखपत्र के साथ संलग्नक आवश्यक :– प्रपत्र–6, फोटो प्रपत्र, प्रपत्रो/साक्ष्यो का विवरण फोटो आई डी

विक्रित सम्पत्ति आवारा विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

विक्रेता एंव क्रेता भारत के नागरिक है।

हमकि **श्रीमती मेशो देवी** (**Pan No. FKDPM4237F**) पत्नी श्री रमेशचन्द निवासी मकान नम्बर 889, मौहल्ला बसन्त विहार सरवट मुजफ्फरनगर **प्रथम पक्ष (विक्रेता)** व **श्रीमती अलका गर्ग** (**Pan No.- ALRPG7654G**) पत्नी अजय कुमार गर्ग निवासी ग्राम खान्जहापुर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर **द्वितीय पक्ष (क्रेंता)** है।

....

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CW 579408

जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति निम्नलिखित की मालिक व काबिज द्वारा खरीद बैनामा दिनांक 16–05–2012 ई0 से है। जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 की जिल्द 7144 के पृष्ठ 97/116 मे क्रमांक 8889 पर दिनांक 23–06–2012 ई0 को कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर में दर्ज है। यह प्लाट हर प्रकार के भार बन्धन आदि से स्वच्छ एवं मुक्त है। इसको विक्रय आदि करने के प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष के कागजात माल देखकर व कब्जे को मौके पर देखकर अपनी पूर्ण तसल्ली कर ली है कि यह सही है अब प्रथम पक्ष ने स्वेच्छा पूर्वक अपने स्वस्थ मस्तिष्क की स्वस्थ दशा में एवं समस्त इन्द्रियों की सही एवं स्वस्थ दशा में खूब सोच व समझकर स्वेच्छा से प्लाट निम्नलिखित को समस्त स्वत्व व अधिकारों एवं हितो सहित बिना कोई अधिकार सुरक्षित रखे वर्तमान बाजारी कीमत अंकन पांच लाख 5,00,000/– रूपये आधे जिसके अंकन दो लाख पचास हजार 2,50,000/– रूपये होते है में बदस्त द्वितीय पक्ष (क्रेता) को

Alka Garg

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

CW 579409

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पूर्णतः विक्रय कर दिया है और बेच दिया है और कुल जरे समन अंकन 5,00,000/— रूपये प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से इस प्रकार कि अंकन 2,50,000/—रूपयें द्वारा चैक नम्बर 036656 दिनांकित 10—05—2019 ई0 यूनियन बैंक शाखा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर व अंकन 2,50,000/—रूपयें द्वारा चैक नम्बर 036657 दिनांकित 21—05—2019 ई0 यूनियन बैंक शाखा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर प्राप्त कर लिये है। अब कीमत का कोई पैसा प्रथम पक्ष का द्वितीय पक्ष पर शेष नही रहा है। विक्रित प्लॉट से प्रथम पक्ष ने अपना कब्जा व दखल उठाकर मौके पर कब्जा व दखल अपने जैसा द्वितीय पक्ष का करा दिया है। आज से प्रथम पक्ष अथवा वारिसान प्रथम पक्ष का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी प्रकार का प्लाट निम्नलिखित से नही रहा है और ना ही भविष्य में होगा। अब यदि प्रथम पक्ष के किसी स्वत्व या अधिकार के अभाव में या किसी भागीदार के उत्पन्न होने या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या अन्य किसी कारण से प्लाट निम्नलिखित कुल या उसका अंश कब्जे व दखल द्वितीय पक्ष

AlkaGarg

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CW 579410

से निकले या उस पर द्वितीय पक्ष को अधिकार न मिले या कोई भार सरकारी या गैर सरकारी ऋण जिसका प्रथम पक्ष ने दस्तावेज हाजा में स्पष्ट उल्लेख न किया हो और वह द्वितीय पक्ष को चुकता करना पडे तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपनी दी हुई कुल या आशिक धनराशि मय सूद जाब्ता व मय हर्जा खर्चा अदालत सहित जैसी भी उस समय दशा हो, प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष की दीगर सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहें वसूल कर लें, इसमें प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की नही होगी। इस क्षेत्र की आवासीय भूमि का निर्धारित रेट **अंकन 6,000/– रूपये प्रति वर्गमीटर** निर्धारित होने से विक्रित प्लाट की मालियत **अंकन 5,01,600/– रूपये** होती है। जिस पर द्वितीय पक्ष ने स्टाम्प शुल्क व फीस अदा किया है। लेकिन द्वितीय पक्ष ने निम्नलिखित प्लाट को **अंकन 4,00,000/– रूपये** में क्रय किया है। **विक्रित प्लाट सेगमेंन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत नही है।** विक्रित प्लाट से सभी सरकारी सुविधाऐ लगभग एक से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विक्रित

AlkaGarg

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EV 105746

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सम्पत्ति की वावत दोनो पक्षो के मध्य कोई भी रजिस्टर्ड इकरारनामा तहरीर नही हुआ है। विक्रित सम्पत्ति न तो शत्रु सम्पत्ति है न वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति है और न ही ट्रस्ट या गिरजाघर की सम्पत्ति है। अतः विक्रय पत्र बैनामा लिख और लिखा दिया कि प्रमाण रहे और काम आवें।

विवरण विक्रित सम्पत्ति स्थित :–ग्राम **खान्जहांपुर** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर। जो कि एक किता **आवासीय प्लाट नम्बरी 52** पैमाईशी पूरब **20 फिट, पश्चिम 20 फिट,** उत्तर **45 फिट** व दक्षिण **45 फिट** जुमला क्षेत्रफली **100 वर्गगज यानि 83.6 वर्गमीटर** है। जो मुन्दर्जा खसरा नम्बर **407 व 397म व 394 व 395 व 396 व 386** में बनाये गये प्लाटस में स्थित है। विक्रित प्लाट के 50 वर्गमीटर की त्रिज्या में आवासीय प्लाट व आवासीय निर्माण है। दोनो पक्षों के कथनानुसार विक्रित प्लाट में कोई निर्माण किसी प्रकार का नही है।

घोषणा / प्रमाणक'' हम उभय पक्ष क्रेतागण एवं विक्रेतागण इस लेखपत्र के

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EV 105747

8

निष्पादनकर्ता व गवाह शपथपूर्वक घोंषित करते है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का पूर्णरूपेण अनुपालन किया गया है, कोई तथ्य छिपाया नही गया है" मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

AlkaGarg

साक्षी .... साक्षी ....

तहरीर तारीख :– 23–05–2019 ई0

ड्राफ्टकर्ता :– आदित्य बंसल दस्तावेज लेखक
तहसील सदर मुजफ्फरनगर

नाम दस्तावेज लेखक–आदित्य लाल बंसल
अनुज्ञप्ति संख्या–122, दि0–31–03–2021 ई0 तक विधिमान्य
स्थान –तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
ली गई फीस ....
दस्तावेज लेखक के हस्ताक्षर ....
लेख तिथि ....

नक्शा नजरी

बैनामा :— आवासीय प्लाट

सम्पत्ति स्थित :— ग्राम खान्जहापुर

परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

दिनांक :— 23—05—2019 ई0

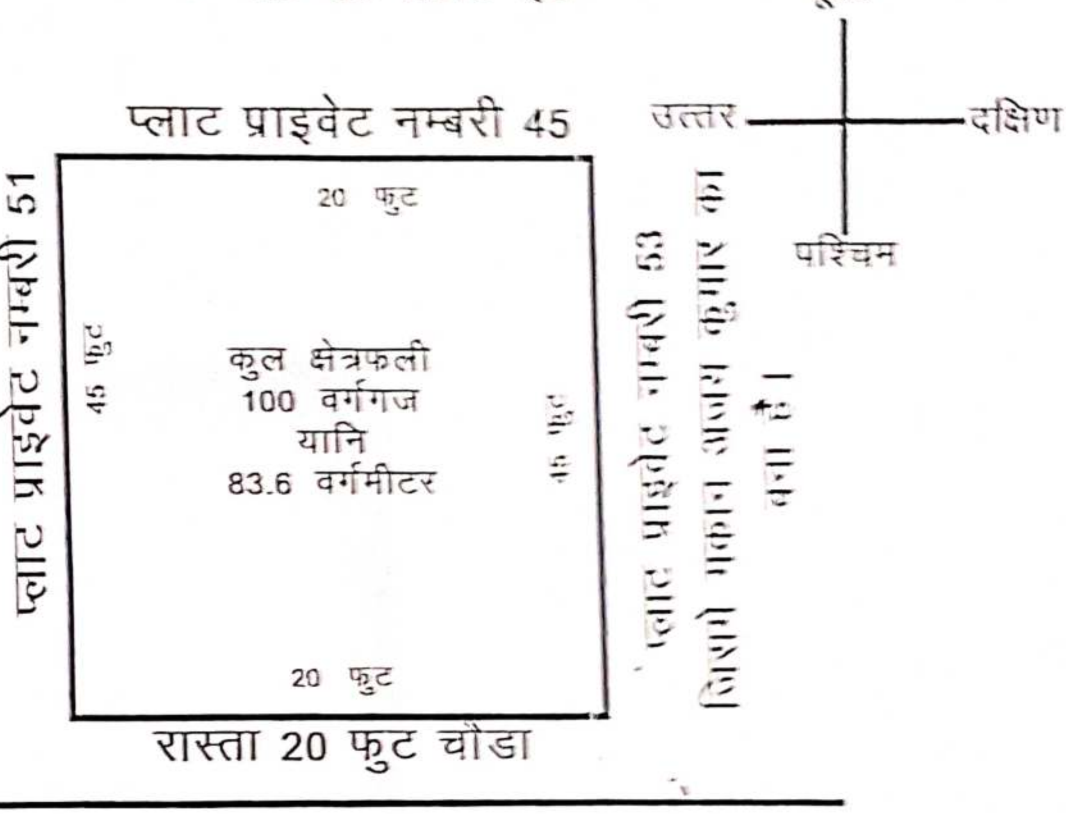

जो मुन्दर्जा खसरा नम्बर 407 व 397म व 394 व 395 व 396 व 386 में बनाये गये प्लाट नम्बर 52 में स्थित है।

नोट :— विक्रित सम्पत्ति के 50 मीटर की त्रिज्या में आवासीय क्षेत्र है।

22-5-19

लौटाया गया।

कुमार-स्टाम्प विक्रेता

निबन्धक

उत्तर प्रदेश